न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 06/2025
3. उनवान : सरकार जरिये श्री दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

1. श्री हिमांशु शर्मा पुत्र श्री त्रिलोकचंद शर्मा (विक्रेता) मैसर्स–शर्मा मिष्ठान भण्डार, पीपली का वास, फुलेरा, जिला– जयपुर–303338 निवासी– गणगौरी बाजार फुलेरा मोबाइल न० 9636345670
2. श्री त्रिलोकचंद शर्मा (मालिक) मैसर्स–शर्मा मिष्ठान भण्डार, पीपली का वास, फुलेरा, जिला–जयपुर–303338 निवासी–गणगौरी बाजार फुलेरा।

–अभियुक्त

4. निर्णय दिनांक : 08.09.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मयंक गुप्ता अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51, 54 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय दिनांक 15–10–2024 को समय दोपहर 4.00 पी.एम. मैसर्स मिठान भण्डार, पीपली का वास, फुलेरा, जिला जयपुर पर पंहुचे। वहां पर हिमांशु शर्मा पुत्र श्री त्रिलोकचंद शर्मा उपस्थित थे तथा पूछने पर स्वयं को अपनी फर्म का विक्रेता होना बताया। हिमांशु शर्मा को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हिमांशु शर्मा से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान वहां बर्फी (मावा मिठाई) की 20 ट्रे (प्रत्येक में 3 किग्रा0) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु एक ट्रे में से 2 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) खरीदकर उसकी कीमत 600/– रुपये विक्रेता श्री हिमांशु शर्मा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री नंद किशोर कुमावत एवं अजीत सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे हिमांशु शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स. 6ए की एक प्रति विक्रेता हिमांशु शर्मा को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की चौडे मुंह की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा 2 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक एन–4380 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं एन–4380 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म स. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग गय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1498 दिनांक 04.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं एलएस/4178/एक्ट/2024/4137 दिनांक 28.10.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) सबस्टैण्डर्ड एवं The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(1) पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली श्रीमान अभिहित अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत की। जिस पर अभिहीत अधिकारी द्वार पत्रांक क्रमांक एफएसएसए/2024/497 दिनांक 20.03.2025 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु अधिकृत किया गया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपार्थी द्वारा मैसर्स शर्मा मिष्ठान भण्डार, पीपली का मोड, फुलेरा, जिला–जयपुर द्वारा सबस्टैण्डर्ड बर्फी (मावा मिठाई) विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसमें अपार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मयंक गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 16.07.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से पेश जवाब में अंकित है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने के लिए सक्षम योग्यता नहीं रखते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रजनीश शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12076/2018 में इस मामले में दिनांक 15.01.2020 को निर्णय दिया गया। निर्णय में कहा गया कि नियोक्ता को पद की आवश्यकता और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, यह निर्णय लेना होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोशन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य 2016 एससीसी ऑनलाइन राज 3606) डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 51/2016 में आदेश दिया कि दिनांक 5.5.2011 को भारत के राजपत्र में खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 (जिन्हें आगे नियम 2011 कहा जाएगा) प्रकाशित किए गए। नियम 2.1.3 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए योग्यताएँ निर्धारित करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिये योग्यता है कि उसके द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में डिग्री या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या चिकित्सा में डिग्री, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त योग्यता, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्था में खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। परन्तु किसी भी व्यक्ति को, जिसका किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, इस नियम के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। इन नियमों के लागू होने की तिथि पर, कोई व्यक्ति जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत खाद्य निरीक्षक के रूप में पहले से ही नियुक्त किया गया है, राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यों का पालन कर सकता है, बशर्ते वह अधिकारी राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो। राज्य सरकार, ऐसे मामलों में जहाँ स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन का कोई चिकित्सा अधिकारी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन खाद्य निरीक्षक का कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन के प्रभारी ऐसे चिकित्सा अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य सौंप सकती है। परन्तु यह भी कि उपरोक्त खंड 2 और 3 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को इन नियमों के प्रारंभ होने से दो वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उक्त प्रकरण निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि मावा मिठाई के एफएसओ द्वारा लिए गए नमूने के परिणामस्वरूप निकाले गए वसा की बी.आर. रीडिंग 40.0 C है जबकि यह 40.0 से 44.0 होनी चाहिए और यह 44.3 आती है जो कि कोई बड़ा अंतर नहीं है इस प्रतिशत अनुपात में केवल थोड़ा सा नीचे या ऊपर प्रतिशत है और इसके अलावा नमूना समरूप नहीं लिया गया था इसलिए नमूना उत्पाद में थोड़ा सा अंतर हो सकता है क्योंकि इसे ठीक से प्राप्त नहीं किया गया था। इस मामले में, अभिहित अधिकारी ने अधिनियम की धारा 36(3)(ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपलब्ध सामग्री के आधार पर अधिनियम या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन सिद्ध होने पर, इस तथ्य पर विचार किए बिना अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। एस.एन. त्रिपाठी बनाम राजस्थान राज्य खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण, राजस्थान में भी यही स्थिति है। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय), जयपुर

और अन्य सामग्री पर विचार किया है। अन्त में विनम्रतापूर्वक मामले को जुर्माने के साथ पूरी तरह से खारिज कर दिया जाने का निवेदन किया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एलएस/4178/एक्ट/2024/4137 दिनांक 28-10-2024 के अनुसार वास्ते नमूना विक्रय सामग्री खाद्य पदार्थ 2 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) सब स्टैण्डर्ड एवं The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(1) पाया गया। अतः अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने के लिए सक्षम योग्यता नहीं रखते है। उक्त के संबंध में नजीरें पेश की है। मावा मिठाई के एफएसओ द्वारा लिए गए नमूने के परिणामस्वरूप निकाले गए वसा की डी.आर. रीडिंग 40.0 C है जबकि यह 40.0 से 44.0 होनी चाहिए और यह 44.3 आती है जो कि कोई बड़ा अंतर नहीं है, इस प्रतिशत अनुपात में केवल थोड़ा सा नीचे या ऊपर प्रतिशत है और इसके अलावा नमूना ठीक से नहीं लिया गया था इसलिए नमूना उत्पाद में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अन्त में विनम्रतापूर्वक मामले को जुर्माने के साथ पूरी तरह से खारिज कर दिया जाने का निवेदन किया।

अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL JAIPUR, RAJASTHAN APPEAL NO.FA/0017/2017 एवं D.B. Civil Writ Petition No. 12076/2018 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

हमने आवेदन पत्र एवं अभियुक्त के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया। प्रार्थी पैरोकार एवं विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं. एलएस/4178/एक्ट/2024/4137 दिनांक 28-10-2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ 2 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) सबस्टैण्डर्ड एवं The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(1) पाया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने के लिए सक्षम योग्यता नहीं रखते है। जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 तथा संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक निदेशालय/एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 के अनुसार कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय आवंटित किया गया। जिससे स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी वैध तरीके से नियुक्त थे और खाद्य

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

पदार्थ के नमूने लेने के लिये योग्य थे। अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित किया कि [illegible] के एफएसओ द्वारा लिए गए नमूने के परिणामस्वरूप निकाले गए [illegible] की [illegible] से 44.0 होनी चाहिए और यह 44.3 आती है जो कि कोई बड़ा अंतर नहीं है [illegible] अनुपात में केवल थोडा सा नीचे या ऊपर प्रतिशत है। जबकि नमूने की [illegible] सीमा से ऊपर है जो कि खाद्य पदार्थ में foreign fat होने का स्पष्ट प्रमाण है। [illegible] की रिपोर्ट से पुष्ट होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्तगण द्वारा सब स्टैण्डर्ड [illegible] का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा [illegible] की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा [illegible] 54 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 50, 51 व 54 के तहत अभियुक्त संख्या [illegible] हिमांशु शर्मा (विक्रेता) व अभियुक्त संख्या ! त्रिलोकचंद शर्मा मालिक मैसर्स मिष्ठान [illegible] पीपली का बास, फुलेरा, जिला जयपुर पर पृथक–पृथक 50,000–50,000 (पचास हजार) की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय),जयपुर